महत्वपूर्ण

संख्या–190 / 9–आ–6–2001–135यू0सी0 / 99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. जिलाधिकारी / सक्षमप्राधिकारी,
लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली,
गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ ।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 24 मार्च, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के निरसन होने के उपरान्त अवशेष लम्बित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या – 777 / 9–न0भू0–135यू0सी0 / 99–2000 दिनांक 09 फरवरी, 2000 द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के आलोक में कतिपय दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं। इसी के क्रम में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है।

2. चूंकि कतिपय जनपदों से उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09, फरवरी, 2000 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के संदर्भ में कतिपय भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर मामले का पुनः परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 धारा–8(4) के अन्तर्गत सरप्लस घोषित भूमि में 10(3) तक की गयी कार्यवाही अधिनियम के निरसन के उपरान्त पर्याप्त नहीं है एवं उसमें निरसन अधिनियम के अनुसार शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2000 के प्राविधान लागू होंगे। परन्तु जिस सरप्लस घोषित भूमि में 10(5) के बाद, 10(6) की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं भूमि पर शासन द्वारा कब्जा लिया जा चुका है, वह अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि अन्तिम रूप से शासन में निहित भूमि मानी जायेगी।

3. उपरोक्त कार्यवाहियों के बावजूद ऐसी भूमि पर यदि बाद में पुनः कब्जा करके भूधारक द्वारा वर्तमान में अपना अवैध कब्जा बनाये रखा गया हो तो उसे अनधिकृत कब्जा माना जायेगा, एवं ऐसे अवैध कब्जों से भूमि मुक्त कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–26(ए) (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी अन्तिम रूप से निहित भूमि को चिन्हित कर अवैध कब्जे की स्थिति में (पूर्व भू–स्वामी सहित किसी के द्वारा भी हो) एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 190(1) / 9–आ–6–2001–135यू0सी0 / 99–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ तथा मेरठ।
2. जिला जज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ तथा मेरठ।
3. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ खण्ड पीठ।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव